


12  $\frac{06}{2020}$

पत्रावली प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर आज दिनांक 12.06.2020 को पेश हुई। प्रार्थी द्वारा अपना प्राठपत्र आगे नहीं चलाना चाहते हुए प्राठपत्र विद्रो करने का आग्रह किया है। चूंकि प्रार्थी अस्थाई निषेधारा प्राठपत्र आगे नहीं चलाना चाहता है अतः प्राठपत्र विद्रो करने की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्राठपत्र अस्थाई निषेधारा सं. 113/2017 विजे-द्र बनाम शिवदयाल कौण्ड खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल-शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सज्जद सि...

  
12.06.2020

(सुरेश कुमार यादव)  
उपरवर्द्ध अधिकारी  
दिल्ली (करोली)

